would like to bring to the notice of this House and the Government the problem of polluction in Delhi and other cities. The World Health Organisation Report states that about 23 cities in India were highly polluted cities. Pollution is giving rise to increased instances of chest diseases and other diseases. The incidence of chest disease in Delhi in much more when compared to other cities in the country. We also have water-borne diseases. All this is affecting the health of the people, especially the poorer sections of our society. They have to incur a huge medical expense. So, this is a very serious matter. There is an argument that the present law is not practical. If we were to implement the provisions of the present law, development would not be possible. If the law is deficient, let us amend it. We require unpolluted air and clean water. There were complaints about the mechanism for implementing these laws. Let us revamp the entire mechanism. The Government should educate the people. It should take steps to protect the environment from pollution.

Thank you.

Non-getting of Residential Accommodation in Bangalore by the widow of an Ex-president of India

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): धन्यवाद उपसभापति महोदया, मैं एक विशेष विषय की ओर इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केवल आकर्षित ही नहीं करना चाहता बल्कि इसको हल करने में आपकी सहायता भी चाहता हूं। एक वृद्ध वृद्ध महिला, एक विधवा बीमार महिला के प्रति हमारी सरकार का उदासीन व्यवहार बहुत ही दुखमय है और वह और कोई नहीं है, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० नीलम संजीव रेड्डी की विधवा श्रीमती नागरतनम्मा जी हैं। डा० नीलम संजीव रेड्डी के मरने के बाद यहां से बहुत से लोग उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए हवाई जहाज पर वहां गये और आंसू पोंछकर आए हैं लेकिन बंगलौर में कर्नाटक सरकार ने जो आवास संजीव रेड्डी जी को दिया था, उनके मरने के पश्चात् उस आवास को और सभी सुविधाओं को वापिस ले लिया है और उस विधवा नारी को दुखी हो बीमार होते हुए भी अनंतपुर जाना पड़ा है। महोदया, वर्तमान नियमों के अनुसार भूतपूर्व राष्ट्रपति के मरने के पश्चात् उनकी पत्नी आजीवन सरकारी आवास में रहने की हकदार है। स्वर्गीय संजीव रेड्डी की पत्नी श्रीमती नागरतनम्मा जी को केन्द्रीय आवास मंत्रालय को सूचित किया है कि कर्नाटक सरकार उनको बंगलौर में आवास देने में असमर्थ है इस कारण से उन्हें अनंतपुर शहर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस मामले में तत्काल कार्यवाही करे और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति की विधवा श्रीमती नागरतनम्मा जी को बंगलौर में सरकारी आवास प्रदान करे। यदि कर्नाटक सरकार के पास उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं है तो विकल्प के तौर पर किसी निजी आवास को किराए पर लेकर उनको बंगलौर में ही आवास उपलब्ध कराया जाए। आशा है कि इस मामले में सरकार उचित कार्यवाही करेगी। धन्यवाद।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): महोदया, इस संबंध में वह आपका समर्थन चाहते हैं।

उपसभापति: मेरा समर्थन उनके साथ है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्वर्गीय संजीव रेड्डी की पत्नी को घर देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती और मैंने इस संबंध में डायरैक्शन दिया है।

The Minister will take care of it. He will see to it that the widows of former Presidents of India get accommodation. If we have provided for all the widows of other Presidents of India, why not for Shri Neelam Sanjeeva Ready's wife? She should not be subjected to inconvenience.

Plight of Bidi workers of U.P., Bihar and West Bengal

मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, मुझे इस खास मुद्दे पर बोलने की इजाजत आपने दी है, आमतौर पर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और खासतौर पर इसलिए कि आज एक ऐसा मामला मैं सदन के सामने रख रहा हूं और सरकार के लिए भी, जो बहुत ही निचले वर्ग से और समाज के उपेक्षित वर्ग से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा मामला है जिसे हम कहें कि गरीब का कोई धर्म नहीं होता, मुफलिसी का कोई ईमान नहीं होता, सबके बराबर के धर्म और बराबर के मजहब हैं। हमारे हिन्दुस्तान के तीन सूबों में, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां बीड़ी का काम करने वाले मजदूर जिस बुरी जिंदगी से गुजर रहे हैं, उसका अहसास वह लोग नहीं

कर पाते जो बीड़ी शौक के लिए या अपनी तलब के लिए पीते हैं। लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता और मकान का ख्वाब देखना तो इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। इनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे देश में पहली बार 1990 में इनकी उजरत बढ़ाने का काम किया और पांच रुपये प्रति हजार बीड़ी की उजरत बढ़ायी गयी। उसके बाद दुबारा सरकार में आने के बाद हमने ही फिर 15 रुपये हजार और उजरत बढ़ायी और यह मानकर हम उस वक्त भी चले थे और आज भी हमारी यही मान्यता है कि बढ़ी हुई उजरत के बाद भी एक बीड़ी मजदूर दो वक्त की नहीं, एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। ऐसा प्रोसेस है इसे बनाने का, जिसे बीड़ी पीने वाले लोग नहीं जानते। या तो बीड़ी का वह मालिक जानता है जो बीड़ी बनाते-बनाते बीड़ी का मालिक बन जाता है और फिर उन्हीं मजदूरों का शोषण करने लगता है।

6.00 P.M.

मध्य प्रदेश के जंगलों से पत्ता आता है। उसे पानी में रात को भिगो दिया जाता है। मजदूर और उसका पूरा परिवार मिलकर उस पत्ते को काटता है और उसकी नसें निकालता है, चाहे उसकी मां हो, उसकी पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो सभी मिलकर बीड़ी बनाते हैं। एक दिन के अंदर पूरा परिवार मिलकर एक हजार बीड़ी बना पाता है। पहले इन बीड़ी बनाने वालों को तकरीबन साढ़े सात रुपया प्रति हजार बीड़ी का मिलता था। अब बढ़ती उजरत के बाद भी देश के बड़े इन चार हिस्सों में, इन चार प्रदेशों का जहां मैंने जिक्र किया लाखों परिवार जो बीड़ी बनाते हैं उन्हें आज भी दस रुपये प्रति हजार से ज्यादा उजरत नहीं मिलती है। कहने के लिए केन्द्र सरकार ने अभी बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं, बीड़ी के मजदूरों को मकानात बनाकर दिये जायेंगे, उनके लिए अस्पताल बनाकर दिये जायेंगे। लेकिन अस्पताल कागजों पर चलते हैं। इन अस्पतालों की दीवारें और छत भी नहीं है और न ही इनमें डाक्टर आता है और न ही अस्पतालों को दवाएं मयस्सर हैं। मेरा सरकार से और इस सदन से यह कहना है कि समाज का यह उपेक्षित वर्ग, नजर-अंदाज तबका जो अय्याशी का सामान तो बनाता है लेकिन हम इनकी समस्याओं के अंदर झांककर देखने का काम नहीं करते।

तम्बाकू कितना नुकसानदेह है। बीड़ी का काम करने वाला मजदूर, उसका छः साल का बच्चा जो बीड़ी बनाता है, वह भी बीड़ी पीता है, उसकी पत्नी भी बीड़ी पीती है और उसके घर की अन्य औरतें भी बीड़ी पीती हैं। उससे निकलने वाला धुंआ टी०बी० और केन्सर के लिए बेहतरीन जरिया है। पूरा घर टी०बी० और केन्सर के मरीजों का हो जाता है। ये मजदूर न तो दवाएं हासिल कर सकते हैं और न ही इन्हें खाने के लिए रोटी मिलती है। ऐसी जर्जर जिंदगी गुजारने वाले लाखों परिवार हैं। मैं इस सरकार और इस सदन से भी कुछ उम्मीद करता हूं, आज मुझे जो दुखद बात इस सदन में कहनी है वह यह है कि पूरी दुनिया में हमने सुना और देखा है, हमारा देश भी उसकी मिसाल है, आये दिन यहां पर बहुत सी मांगे आती हैं...

उपसभापति: समय की कमी के कारण आप कृपया अपने भाषण को संक्षिप्त करिये।

श्री मोहम्मद आजम खान: हम लोगों को कुछ देने की बात करते हैं, तनख्वाहों में इजाफा होता है, महंगाई बढ़ती है। लेकिन बीड़ी बनाने वाला अकेला ऐसा मजदूर है जिसके पैसे नहीं बढ़ाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। जहां राज्यपाल महोदय ने पूरी दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है, ऐसी मिसाल जिसे शायद गिनीज बुक में लिखा जायेगा, ऐसा महान राज्यपाल जिसने मजदूरों की उजरत को बढ़ाने के बजाये अपने को तानाशाही जीओ जारी करके उस उजरत को कम करने का काम कर दिया। 35 रुपये हजार बढ़ी हुई उजरत मिलने वाली जो कि कम थी, मजदूर इस उजरत के लिए लड़ रहा था, आंदोलित था, इसके बावजूद...

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): तभी तो आप राष्ट्रपति शासन का समर्थन करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खान: वह अलग बात है।

पैंतीस रुपये हजार रेट। एक दिन पहले दूसरे मुद्दे पर भी मैंने राज्यपाल महोदय की कार्य-शैली और उनकी जिन्दगी के तरीकों पर इस सदन में ऐतराज किया था।

उपसभापति: आप राज्यपाल के बारे में कुछ मत बोलिये।

श्री मोहम्मद आजम खान: मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने पूरी दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है। पैंतीस रुपये प्रति हजार मिलने वाली उजरत जिसको मजदूर कहता था कि यह कम है वह अभी बढ़ाना नहीं चाहते, बजाये इसके कि यह उजरत बढ़ती, कोई तानाशाह, अपने को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव साबित करने वाला, इन दुखदाई हालात में, उत्तर प्रदेश में एक जमाने से राज्यपाल शासन चल रहा है, बार-बार हमारी तकदीर की विडम्बना यह है वहां

पर जनता का राज न आकर राज्यपाल का शासन आ जाता है। राज्यपाल महोदय ने एक जीओ जारी किया और पैंतीस हजार रुपये से हटाकर बीड़ी की उजारत 27 रुपये हजार कर दी। यह बड़ा जालिमाना खेल है, यह बड़ा निन्दनीय काम है और इसकी निन्दा होनी चाहिये, सदन में भी होनी चाहिये और सरकार को भी इसे देखना चाहिये। क्या किसी राज्यपाल को यह हक हासिल होगा कि वह भूखें लोगों के मुंह से लुकमा निवाला और रोटी छीनने का काम करेगा, अनेकों जिस्मों से खाल उतारने का काम करेगा? लिहाजा मेरी मांग और चाहना यह है कि बीड़ी मजदूरों की इस समस्या पर कोई समिति बननी चाहिये और एक नेशनल वेज बोर्ड, जैसा टेक्सटाइल और शुगर का है इसी तरह का बोर्ड बीड़ी मजदूरों के लिए भी बनना चाहिये। मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ है इसके लिए जी०ओ० वापस होना चाहिए और बीड़ी मजदूरों की उजरत बढ़नी चाहिए।

गरीबे शहर के तन पर लिबास बाकी है,
अमीरे शहर के अरमां अभी कहां निकले।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री महेश्वर सिंह: ऐसा भी कहें कि ऐसे राज्यपाल को बरखास्त किया जाना चाहिए।

उपसभापति: राज्यपालों का बरखास्त करना हमारा काम नहीं है। बीड़ी वरकर्स तमाम जगह अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर में हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। उनके लिए कुछ होना चाहिए।

I know about this. They have to be taken care of.

श्री सुन्दराजन, लोगों को ट्रेन पकड़नी है। इसलिए जरा जल्दी से बोलिए।

Need to ensure the safety of people living around the L.P.S.C. Plant of I.S.R.O. in Thirunelveli District of Tamil Nadu

SHRI P. SOUNDARARAJAN (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, as I rise to make my maiden speech, I record my gratitude to Dr. Puratchi Thalaivi, the former Chief Minister of Tamil Nadu, who has sent me to this august House.

Madam, I feel it my duty to bring to the notice of the Government a grave injustice meted out to the people of Mahendragiri-panakudi area of Thirunelveli Kattabomman district in Tamil Nadu.

The Liquid Propulsion System Centre of ISRO is situated at Mehandragiri in Thirunelveli Kattabomman district of Tamil Nadu. When it was being set up 16 years ago,.people of that area objected to it fearing displacement and also health hazards by the plant. At that time, the Government and also the ISRO authorities promised jobs at the LPSC plant for the families whose lands were acquired. The people were also assured of safety to their health and lives. After giving all these assurances, about 1500 acres of land was acquired by the Government from over 700 poor farming families of Kaval Kinaru, Lappai Kudiiy-uruppu, Panakudi, Kumarapuram, Krish-napuram and Avaraikuiam villages at a throw-away price of nine rupees and fifty five paise per cent. But today, after 16 years, the people who were displaced feel cheated by the Government.

So far, not a single project-affected person has been given employment in the LPSC plant. Members of the affected families have not been given even Class-C or Class-D posts. The promised housing units have not been provided. The poor people who have given their lands have nowhere to go for their livelihood. After having run from pillar to post, they have resorted to agitation. Since I come from that region, I know the troubles the people have been facing all these years.

Madam Deputy Chairman, last year a highly dangerous Integrated Liquid Hydrogen plant was commissioned in the unit exposing the people of the area to a great danger. Now, a residential complex for the scientists and staff of the LPSC is proposed to be constructed at Nagcrcoil, 26 kilometres away from the plant. This decision to have staff quarters away from the plant site has increased the fear of the people regarding the safety of the plant.

Madam, the people of Mahendragiri area have no means of livelihood, no place to stay and they are living in the grip of fear, always thinking that something like the Bhopal gas tragedy would take place. Therefore, I demand firstly that at least one member of each